

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 195 / 2013
संस्थित दिनांक-14 / 06 / 13

- 1- रामसेवक पुत्र पंछीपाल उम्र 40 वर्ष
जाति जाटव निवासी ग्राम सड थाना व
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
.....अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रु द्ध

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा , जिला-भिण्ड (म०प्र०)

-----प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
अपीलार्थी/आरोपी द्वारा श्री ए०के० राणा अधिवक्ता

न्यायालय-श्री एस०के० तिवारी, जे.एम.एफ.सी., गोहद, द्वारा दांडिक
प्रकरण क्रमांक-926/06 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 15/5/13
से उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उक्त दांडिक अपील अपीलार्थी/आरोपी रामसेवक की औरसे धारा 374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय गोहद श्री एस०के० तिवारी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 926/06 में दिनांक 15/5/13 को द घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा से व्यथित होकर पेश की है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25(1), (1-ख) (क) के अपराध के लिये एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपी/अपीलार्थी ग्राम सड थाना गोहद का निवासी है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है, कि दिनांक 29-07-06 को 7-35 बजे जब थाना गोहद चौराहे पर उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर थानाप्रभारी के पद पर पदस्थ था तब उसे रोमनामचासान्हा क्रमांक 833 पर यह सूचना प्राप्त हुई, कि एक व्यक्ति मातापुरा पहाड पर

अवैध रूप से कट्टा लिये घूम रहा है, जिसकी जांच हेतु वह मय पुलिस बल के मातापुरा पहाड पर गया तो उसे मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर एक व्यक्ति मिला जिससे, उसने गवाहों के समक्ष पूछताछ की तो उसने अपना नाम पता बताया और तलाशी लेने पर कमर में पेन्ट के नीचे 12 बोर का कट्टा खुरसा मिला तथा जेब के 2 राउन्ड मिले, जिसमें से एक मिस था जिन्हें उसने गवाहों के समक्ष आरोपी/अपीलार्थी रामसेवक से जप्त कर विधिवत सीलबंद किया, और उसकी गिरफ्तारी की तत्पश्चात धारा 25/27 आयुद्ध अधिनियम के तहत मामला होने से थाना लाकर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध प्र०पी०-4 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध की प्र०पी०-1 के जप्ती पत्र के अनुसार जप्त किये गये कट्टा कारतूस को सीलबंद अवस्था में पुलिस लाईन भिण्ड जांच हेतु भेजा, जिसकी प्र०पी०-5 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, और कट्टा चालू हालत में व एक कारतूस जीवित व एक मिस पाया गया । तत्पश्चात अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०-6 प्राप्त की जाकर वाद अनुसंधान अभियोगपत्र विचारण हेतु सक्षम जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया गया ।

4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री के आधार पर धारा 25(1), (1-ख) (क) के तहत आरोप लगाया जाकर विचारण किया विचारण पश्चात आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोप को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित मानते हुये आरोपी/अपीलार्थी को एक वर्ष के सश्रम कारावास व 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जिससे व्यथित होकर उक्त दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गई ।

5. अपीलार्थी/आरोपी की और से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में मूलतः यह आधार लिया गया है कि, अभियोजन द्वारा बताये गये घटना का किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है, और एकमात्र परीक्षित स्वतंत्र साक्षी जगदीश ने समर्थन नहीं किया है । दूसरे स्वतंत्र साक्षी विश्रामसिंह को पेश नहीं किया गया है ना, ही प्रकरण में कोई रोजनामचासान्हा पेश किया गया है ना ही जप्त हथियार को पेश किया गया, और रवानगी वापिसी का कोई रोजनामचासान्हा भी पेश नहीं किया गया, और ना ही उसे सीलबंद किया जाना प्रमाणित है, तथा अभियोजन स्वीकृति में तात्कालीन डी०एम० द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है, इन विन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिये आलोच्य निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है, और वह अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व दण्डाज्ञा को निरस्त किया जाकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाये ।

6. इसी अनुरूप अपीलार्थी/आरोपी अधिवक्ता ने तर्क भी किये हैं जिसका खण्डन करते हुये विद्वान ए०पी०पी० श्री बी०एस० बघेल द्वारा अपने तर्कों में यह बताया है कि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले हैं, और अवैध कट्टा कारतूस आरोपी/अपीलार्थी से बरामद होना प्रमाणित है, कोई तात्त्विक विसंगति नहीं है तथा भिण्ड जिले में अवैध हथियार को लेकर चलने का

प्रचलन है, ऐसे में अपराध गंभीर है और दोषसिद्धि यथावत रखी जाये ।

07. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1- “क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 926/06 में दिनांक 15-5-13 को आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध अवैध शस्त्र वगैर वैध अनुज्ञप्ति के रखने के अपराध को प्रमाणित मानने में विधि एवं तथ्य की भूल या त्रुटि की गई है, यदि हां तो प्रभाव?
- 2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया । आलोच्य निर्णय का अध्ययन किया उभय पक्ष के तर्कों पर चिन्तन मनन किया गया ।

9- विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में 315 बोर का कट्टा व दो जिन्दा कारतूस अंकित किये हैं जब कि कथानक में 12 बोर का देशी कट्टा और 2 जिन्दा कारतूस जिनमें से एक जीवित और एक मिस बताया गया है, इस संबंध में यह उल्लेखित करना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय करते समय अभिलेख का गंभीरता से और सावधानी से अध्ययन करने के पश्चात ही निराकरण किया करे ।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये अभियोगपत्र और उसके साथ संलग्न सामग्री मुताबिक अभियोजन की और से यह घटना बताई गई कि तात्कालीन थानाप्रभारी विजयसिंह तोमर को थाने पर मुखबिर से आरोपी/अपीलार्थी के संबंध में इस आशय की सूचना मिली कि वह मातापुरा पहाड पर अवैध हथियार लिये हुये घूम रहा है, जिसकी तस्दीक को वह मय फोर्स के और गवाहों को साथ लेकर गया तो आरोपी मिला और उससे पूछताछ की गई । जामा तलाशी लेने पर प्र0पी0-1 मुताबिक शस्त्र पाये गये जिसका उन्हें रखने का कोई वैध लाईसेंस नहीं था, जिस पर से अपराध घटित होना माना जाकर कार्यवाही की गई । इस आक्षेप को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर अभियोजन की और से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें प्र0पी0-1 के महत्वपूर्ण दस्तावेज जप्तीपत्र के पंच साक्षी जगदीश अ0सा0-3 के रूप में परीक्षित हुये जिसके प्र0पी0-1 के जप्तीपत्र और प्र0पी0-2 के गिरफ्तारी पंचनामा पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं, लेकिन वह घटना सुबह 11-12 बजे के आसपास की बताते हुये यह कहता है कि, पुलिस वालों ने रामसेवक को पकडा था, और मोटर साईलि पर बैठकर थाने ले आये थे, और थाने पर लिखापढी हुई थी वहीं उसके हस्ताक्षर कराये गये थे लेकिन उसके सामने पुलिस ने आरोपी से 12 बोर का कट्टा व उसके पेन्ट की जेब से दो राउन्ड जप्त नहीं किये थे, और उसने पुलिस को प्र0पी0-3 का पुलिस को

कथन देने से भी इंकार किया है ।

11. पैरा-2 में उक्त बात उसने किसी अन्य रामसेवक के बारे में समझते हुये बताई क्योंकि रामसेवक नाम का एक दूसरा और व्यक्ति भी उसके सामने पकड़ा गया था । पैरा-3 में फिर उसने प्र0पी0-3 का कथन पुलिस को देना बताया है और कट्टा कारतूस जप्त होना भी बताया है । प्र0पी0-1 और प्र0पी0-2 पर उसने पढ़कर हस्ताक्षर करना पैरा-4 में उसने बताया है, लेकिन उसे यह ध्यान नहीं है कि उस समय आरोपी कौन से कपड़े पहने हुआ था, और किस जेब से कारतूस निकाले गये थे उसका यह भी कहना है कि आरोपी से जो कट्टा कारतूस बरामद हुआ था उसे दरोगाजी ने उसे दिखाया था लेकिन नापतौल की थी या नहीं यह उसे ध्यान नहीं है, और यह भी कहा है कि उक्त आरोपी चोरी वाले प्रकरण का आरोपी नहीं है । उक्त साक्षी को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय ठहराया है, जब कि अन्य साक्षी तथा मौके की कार्यवाही करने वाले थानाप्रभारी विजयसिंह तोमर अ0सा0-5 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना दिनांक को किसी और रामसेवक नामक व्यक्ति को भी पकड़ा जाना कथानक में नहीं बताया गया है, तथा उक्त साक्षी के पैरा-2 व 3 में विरोधाभास तात्विक स्वरूप का उक्त स्थिति में हो जाता है, जब कि वह पैरा-1 की प्रथम पंक्ति में ही आरोपी रामसेवक को जानना बताता है ।

12. ऐसे में उक्त साक्षी के बारे में यह नहीं माना जा सकता है कि पैरा-2 में उसने भ्रम के कारण अभिकथन किया और पैरा-3 में फिर उसे स्मृति ताजा हो जाने पर सुधारा ऐसे में उक्त साक्षी को विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि वह अपने कथन में स्थिर नहीं है, तथा अभियोजन की ओर से दूसरा पंच साक्षी विश्रामसिंह को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में घटना का स्वतंत्र साक्षियों से समर्थन होना प्रमाणित नहीं है, हालांकि जिस प्रकृति का अपराध घटित बताया गया है उसके लिये हर परिस्थितियों में स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं है, किन्तु ऐसी स्थिति में शेष साक्षी जो कि शासकीय सेवक होकर पदीय हैसियत से साक्ष्य देते हैं उनके अभिसाक्ष्य का अत्यन्त सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है ।

13. प्रकरण में अ0सा0-1 के रूप में रामनिवास दीक्षित को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में थानाप्रभारी के साथ हमराह पुलिस बल के साथ जाना बताते हुये छोटे दरोगाजी अर्थात् ए 0एस0आई0 शर्मा, आरक्षक जगराम, श्रीकृष्ण थापक, निहालसिंह और तिवारी का भी साथ में जाना बताया है, जिसमें से जगराम अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुये हैं । शेष का परीक्षण नहीं कराया है, ऐसे में अ0सा0-1 और अ0सा0-2 के संबंध में सर्वप्रथम तो यह स्थापित होना आवश्यक है कि वे बताई गई घटना के समय अथवा उस पुलिस बल के साथ गये भी थे अथवा नहीं क्योंकि अभिलेख का कोई रोजनामचासान्हा साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, केवल कथानक में रोजनामचासान्हा क्रमांक-833 का उल्लेख अवश्य किया है । इसलिये मौखिक साक्ष्य के आधार पर आकलन करना होगा ।

14. अ0सा0-1 और अ0सा0-2 दोनों ही आरोपी/अपीलार्थी

रामसेवक को ग्राम मातापुरा के पहाड पर मिलना और पकडकर उससे पूछताछ करने पर नाम नहीं बताना तथा तलाशी लेने पर 12 बोर का कट्टा और 2 जिन्दा कारतूस उससे बरामद होना बताते हैं जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही जगदीश और विश्रामसिंह के समक्ष दरोगाजी द्वारा करना बताते हैं, किन्तु प्रतिपरीक्षा में जो तथ्य आये हैं उनसे उक्त दोनों साक्षियों का हमराह पुलिस बल में जाना इस आधार पर संदिग्ध है कि रामनिवास के मुताबिक आरोपी से कट्टा पेन्ट की कमर से बाईं तरफ से निकाला गया था उस समय वह काले रंग का पेन्ट पहने हुआ था, और अकेला था । कारतूस पेन्ट कि किस जेब से निकले थे यह उसे पता नहीं है तथा पहाड पर किस स्थान पर आरोपी मिला यह वह नहीं बता सकता क्योंकि, पहाड काफी एरिया में फेला हुआ है, और जहां आरोपी को पकडा गया और कट्टा कारतूस की बरामदगी प्र०पी०-1 मुताबिक बताई गई है, उसका कोई नजरी नक्शा नहीं बनाया गया है और पंच साक्षी जगदीश, विश्राम किस तरह से मौके पर उपस्थित मिले इस बारे में वह मौन है ।

15. पैरा-4 मुताबिक आरोपी का अकेले मिल पाना यह प्रकट करता है कि पंच साक्षी मौके पर नहीं थे, ऐसे में जगदीश अ०सा०-3 का यह कहना कि लिखापढी थाने पर हुई जो कि अखण्डित है, उससे भी प्र०पी०-1 और प्र०पी०-2 की कार्यवाही वास्तविकता में मौके पर परीलक्षित नहीं होती है, और कार्यवाहीकर्ता विजयसिंह तोमर अ०सा०-5 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसके साथ में पुलिस बल में कौन कौन था ना ही उसका प्र०पी०-4 की एफ०आई०आर० में कोई उल्लेख है ऐसे में रोजनामचासान्हा के अभाव में अ०सा०-1 की स्थिति पुलिस बल के हमराह आरक्षक की नहीं रह जाती है, और उसके द्वारा दिया गया अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । उक्त साक्षी इस आधार पर भी अविश्वसनीय प्रकट होता है कि वह मौके पर ही कट्टा कारतूस तलाशी लेने पर बरामद होने पर दोनों कारतूसों में से एक जिन्दा और एक मिस बताता है, जब कि मौके पर कारतूस की कोई जांच नहीं हुई, और प्र०पी०-5 मुताबिक कट्टा कारतूस की जांच आरक्षक रामकिशोरसिंह अ०सा०-6 के द्वारा दिनांक 24-8-06 को अर्थात् घटना दिनांक के काफी समय बाद की गई, ऐसे में उक्त साक्षी का एक कारतूस मिस बताना यह प्रकट करता है कि वह पुलिस कर्मी होने से हितबद्धता के चलते साक्ष्य दे रहा है । ऐसे में उसे विश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है ।

16. आरक्षक जगरामसिंह अ०सा०-2 के मुताबिक घटना दिनांक को वह थाने पर ड्यूटी पर ही नहीं था और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य ना ही कार्यवाही करने वाले विजयसिंह तोमर अ०सा०-5 ने ऐसा बताया है कि जगरामसिंह को सूचना की तस्दीक के लिये साथ ले जाने के लिये थाने पर बुला लिया था, जब कि जगराम सुबह 8 बजे थाने पर बुलाना कहता है उसकी यह बात मान भी ली जाये तब भी प्र०पी०-4 मुताबिक घटना सुबह 7-35 बजे की बताई गई है और उक्त साक्षी का सुबह 8 बजे थाना पहुंचना इस बात का द्योतक है कि वह मौके पर नहीं गया यह इससे भी परीलक्षित होता है कि उक्त साक्षी का यह जानकारी नहीं है कि आरोपी को पहाड पर

किस स्थान पर गिरफ्तार किया था, उसके मुताबिक पंच साक्षी जगदीश और विश्राम मौके पर पहले से खड़े थे, जब कि अ०सा०-1 आरोपी को अकेले बताता है, और वह भी एक कारतूस मिस एक जिन्दा बताते हुये आरोपी के पेन्ट के दाहिने जेब से कारतूस निकाला जाना कहता है, जब कि यह बात किसी अन्य की जानकारी में नहीं है वह कट्टे का वजन तक तौला जाना बताता है, जब कि प्र०पी०-1 के जप्तीपत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि वजन भी तौला गया हो, ऐसे में उक्त साक्षी भी कतई विश्वसनीय नहीं रह जाता है, जिसे समर्थनकारी मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि की गई है ।

17. यह सही है कि धारा 134 साक्ष्य विधान के मुताबिक किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिये साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं है, अर्थात् एकल साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन उसके लिये यह आवश्यक है कि, एकल साक्ष्य की दशा में साक्षी प्रत्येक प्रकार के संदेहों से परे हो इस कसौटी पर यदि कार्यवाही करने वाले निरीक्षक विजयसिंह तोमर अ०सा०-5 के अभिसाक्ष्य को देख जाये तो उसके मुताबिक रोजनामचासान्हा क्रमांक-833 की सूचना पर वह मुखबिर के बताये स्थान पर गया था वहीं उसे आरोपी मिला उसके मुताबिक साक्षियों को वह सूचना की तस्दीक हेतु अपने साथ लेकर गया था, जैसा कि पैरा-5 में कहता है, यदि उक्त साक्षी की उक्त बात को सही माना जाये तो फिर जगराम अ०सा०-2 का यह कथन असत्य हो जाता है कि, जगदीश, विश्राम मौके पर पहले से ही खड़े थे ।

18. जहां तक सूचना का प्रश्न है कार्यवाहीकर्ता अ०सा०-5 को यह जानकारी तक नहीं है कि, सूचना मुखबिर ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दी थी या टेलीफोन से दी थी, और बचाव पक्ष का यह तर्क उक्त साक्षी के बारे में रहा है कि उक्त विवेचक ने मौके पर जाकर कोई कार्यवाही नहीं की । थाने पर बैठकर असत्य लिखापढी कर ली इस बात को बल इस आधार पर भी मिलता है कि अ०सा०-5 पैरा-3 में यह बताता है कि, उसे आरोपी मंदिर पर नहीं मिला था पहाड पर मिला था, लेकिन पहाड पर मंदिर है या नहीं है वस्ती है या नहीं है यह उसे पता नहीं है ।

19. पैरा-5 मुताबिक उसे यह भी याद नहीं है कि थाने से कितने लोग साथ में गये थे और किस वाहन से गये थे । उक्त महत्वपूर्ण साक्षी होते हुये उसे यह भी याद नहीं है कि आरोपी क्या कपड़े पहने था कौन से रंग के पहने था तथा कारतूस पेन्ट कि किसी जे में रखे था । ऐसे में मौके पर वास्तविकता में कार्यवाही की जाना उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ना ही उससे मुख्य परीक्षण मुताबिक प्र०पी०-1 की जप्तीपत्र या प्र०पी०-2 का गिरफ्तारी पंचनामा प्रमाणित माना जा सकता है जो कि पूरे कथानक के मूल आधारित दस्तावेज हैं । ऐसे में अ०सा०-5 के अभिसाक्ष्य को भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानकर विधिक त्रुटि की है, क्योंकि प्र०पी०-1 व 2 के दस्तावेजों के प्रमाणित ना होने से प्र०पी०-4 के एफ०आई०आर० को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, और

रोजनामचासान्हा पेश ना किया जाना ऐसी स्थिति में अभियोजन के विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा को निर्मित करने पर बल देता है कि, मौके पर वास्तविकता में कोई कार्यवाही नहीं हुई । अन्यथा साक्ष्य में रोजनामचासान्हा को प्रस्तुत कर प्रमाणित कराया जाता जिससे यह स्थिति स्पष्ट हो सकती थी, कि कौन कौन किस साधन से कब मौके पर गये और कब वापिस आये ।

20. उपनिरीक्षक आर०के० शर्मा अ०सा०-4 ने भी पुलिस बल के साथ जाना बताया है, और मौके की कार्यवाही उसके सामने होना तथा वाद में साक्षी जगराम, रामनिवास, जगदीश, विश्राम के उनके बताये अनुसार कथन लेना बातता है, जिसमें से जगराम और जगदीश परीक्षित हुये, जिन्हें विश्वसनीय नहीं माना गया है । रामनिवास और विश्रामसिंह पेश नहीं हुये हैं ऐसे में उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य कोई विधिक महत्व नहीं रखता है । उक्त साक्षी को भी यह जानकारी नहीं है कि, आरोपी किस रंग के कपडे पहने हुआ था उसे किसी साक्षी ने आरोपी के भागने की बात नहीं बताई थी । पैरा-3 मुताबिक वह कहता है कि आरोपी जिस स्थान पर बैठा था वहीं पर पकड लिया था, और ऐसा ही उसे गवाहों ने बताया था जब कि इसके प्रतिकूल रामनिवास अ०सा०-1 के मुताबिक आरोपी घर से खदान की तरफ जाता हुआ मिला था, और जगराम अ०सा०-2 के मुताबिक पहाड की खदान की तरफ से माता के पुरा के तरफ आता हुआ मिला था ऐसे में आरोपी के मिलने के स्थान और मिलते समय की उसकी गतविधि के संबंध में साक्षियों में परस्पर विरोधाभास की स्थिति है । इससे भी वे विश्वसनीय नहीं थे, जिनको विश्वसनीय मानकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है ।

21. अभिलेख पर साक्ष्य के दौरान जप्त बताये गये 12 बोर का देशी कट्टा और 2 कारतूस आर्टिकल के रूप में साक्ष्य में पेश नहीं किये गये हैं । इस आधार पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने मामले को संदिग्ध माने जाने का तर्क करते हुये न्याय दृष्टांत म०प्र० राज्य वि० कृष्ण कुमार 1997 भाग-1 एम०पी० विकली नोट शार्टनोट 203, चून्टा वि० स्टेट ऑफ एम०पी० 1995 भाग-1 करेन्ट किमनल जजमेंट पेज 184 (एम०पी०) पेश किया है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 25 एवं 27 के अपराध में जप्तशुदा हथियार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, अन्यथा उसके अभाव में जप्ती संदिग्ध होती । हस्तगत मामलें में भी जप्त बताये गये हथियार साक्ष्य में पेश नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है । ऐसे में उक्त न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है, और उसके आधार पर भी प्र०पी०-1 द्वारा बताई गई जप्ती संदिग्ध हो जाती है, तथा प्र०पी०-1 में मौके पर कट्टा कारतूस को शीलबंद कियेजाने का उल्लेख है शीलनमूना की छाप भी लगाई गई है, किन्तु उसके संबंध में विजयसिंह तोमर अ०सा०-5 ने कोई साक्ष्य नहीं दी है कि मौके पर सीलड किया गया था या नहीं, इससे भी कार्यवाही दूषित होना मानी जायेगी ।

22. आरक्षक रामकिशोरसिंह अ0सा0-6 ने प्र0पी0-5 की कट्टा कारतूस की जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया है, जो उसने आरक्षक आर्म्स मोहरिर की हैसियत से करना बताई है, किन्तु उसकी साक्ष्य के दौरान भी न्यायालय में जांच किये गये कट्टा कारतूस को पेश नहीं किया गया था, ऐसे में उसके प्र0पी0-5 मुताबिक कट्टा कारतूस के संबंध में दी गई यह रिपोर्ट कि कट्टा चालू हालत में तथा एक कारतूस जीवित और एक मिस था औपचारिक स्वरूप की साक्ष्य हो जाती है, और जब तक जप्ती ही प्रमाणित नहीं है तो जांच रिपोर्ट या आगे की अन्य कार्यवाही गुणदोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है ।

23. अवैध शस्त्र बैध अनुज्ञप्ति के रखे जाने के मामलों में आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 39 का पालन आवश्यक है, जिसके संबंध में अभिलेख पर तात्कालीन जिला दण्डाधिकारी रश्मि अरुण शमी के आर्म्स क्लर्क जगमोहन शर्मा को अ0सा0-7 के रूप में अभियोजन द्वारा पेश किया गया है, जिसने अपने अभिसाक्ष्य में थाना गोहद चौराहा के अप0क्र0 124/06 से संबंधित कैस डायरी एवं सीलबंद शस्त्र जिला दण्डाधिकारी के अवलोकनार्थ पेश होना और उनके द्वारा अवलोकन उपरांत अभियोजन चलाने की प्र0पी0-6 की स्वीकृति दिया जाना बताया है । प्र0पी0-6 पर तात्कालीन डी0एम0 के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर की पहचान की है, जिनके अधीन उक्त साक्षी ने कार्य किया था, लेकिन पैरा-2 में वह यह कहता है, कि प्र0पी0-6 पर हस्ताक्षर उसके सामने डी0एम0 ने नहीं किये थे ।

24- इसके संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत राजू दुबे वि0 स्टेट ऑफ एम0पी0 1998 भाग-1 जे0एल0जे0 पेज 236 को पेश किया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 39 आयुद्ध अधिनियम की व्याख्या करते हुये यह मार्गदर्शन दिया है कि अभियोजन के लिये मंजूरी बावत समस्त अभिलेख व आयुद्ध डी0एम0 के पास भेजा जाना यदि साबित ना हो और मंजूरी प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर साबित करने के लिये केवल लिपिक की परीक्षा पर्याप्त नहीं है, तथा मंजूरी देते समय आयुद्ध को मंजूरी देने वाले अधिकारी द्वारा देखा जाना आवश्यक है न्याय दृष्टांत के मामलों में जप्ती भी संदिग्ध मानी गई थी, और उसमें बताये गये कथानक में अवैध कट्टा कारतूस का प्रयोग हत्या के प्रयास करते हुये किया जाना बताया गया था, किन्तु धारा 307 भा0द0सं0 का मूल अपराध विचारण न्यायालय ने ही संदिग्ध माना था ।

25. हस्तगत मामलों में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय में अभियोजन चलाने की स्वीकृति के संबंध में दो न्याय दृष्टांतों को आधारित किया है, जिनमें स्टेट ऑफ एम0पी0 वि0 जियालाल आई0एल0आर0 2009 एम0पी0 पेज 2487 में यह बताया गया है कि, जिला दण्डाधिकारी द्वारा पदीय हैसियत से अपने कर्तव्य के निर्वहन में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाती है, ऐसे में उसका साक्षी के रूप में परीक्षित कराया जाना आवश्यक नहीं है, और शिवराजसिंह यादव वि0 स्टेट ऑफ एम0पी0 2010 (4) एम0पी0जे0आर0 पेज

49 (डी0बी0) में यह मार्गदर्शन लिया गया है कि, अभियोजन स्वीकृति लोकदस्तावेज है इसलिये अनुमति देने वाले का परीक्षण कराया जाना आवश्यक नहीं है ।

26. अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य में डी0एम0 के प्र0पी0-6 पर हस्ताक्षर ना होने संबंधी कोई सुझाव नहीं दिया गया है । राजू दुबे का जो न्याय दृष्टांत पेश किया गया है, उसके तथ्य परिस्थितियां हस्तगत मामलें से भिन्नता लिये हुये हैं, ऐसे में प्र0पी0-6 की अभियोजन स्वीकृति के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, जिससे यह दर्शित होता हो कि जिला दण्डाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने में न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि प्र0पी0-6 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि, कैस डायरी अभिलेख तथा सीलबंद शस्त्र का अवलोकन किया गया था, और तुष्टि हो जाने पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई, किन्तु जप्ती से प्रमाणित नहीं है ।

27. ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय मुताबिक की गई दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को स्थिर नहीं रखा जा सकता है और विश्वसनीय साक्ष्य का अभाव है ।

28. परिणामस्वरूप आरोपी/अपीलार्थी की और से प्रस्तुत दाण्डिक अपील में उठाये गये विन्दु व लिये गये आधार विधिक महत्व रखते हैं । अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त ही न्यायालय के मत में अभियोजन का मामला संदिग्ध है । इसलिये प्रस्तुत दाण्डिक अपील वाद विचार स्वीकार की जाती है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांक 15-5-13 को अपास्त करते हुये आरोपी/अपीलार्थी को धारा 25(1), (1-ख) (क) आयुद्ध अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया जाता है ।

29. आरोपी/अपीलार्थी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

30. प्रकरण में जप्तशुदा 12 बोर का देशी कट्टा वह एक जिन्दा व एक मिस राउन्ड अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को विधिवत निराकरण हेतु भेजा जाये ।

दिनांक: 31 अक्टूबर 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड